निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –81 / 2023

रूपलाल पुत्री देवीलाल बलाई जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम निमोदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़। ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति गेंदीबाई पत्नि बाल्या बलाई जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम निमोदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. श्री रामलाल पुत्र बाल्या बलाई जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम निमोदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. श्री उंकार पुत्र गोपी बलाई जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम निमोदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।
अप्रार्थी:– 1,2 पराग त्रिपाठी।
03 एकतरफा कार्यवाही
04 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 12.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के ग्राम गुढाखेडा प0ह0 जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की कृषि आराजीयात जिसके खाता संख्या 59 सम्वत 2076–79 खसरा संख्या 258, 259 कुल किता 02 कुल रकबा 1.24है0 लगानी 18.45 पैसे खाते में मुझ प्रार्थी के दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 259 पर आने जाने का रास्ता आराजी संख्या 218, 223 जो अप्रार्थी गेंदीबाई पत्नि बाल्या व रामलाल पुत्र बाल्या निवासी निमोदा के खाते कि आराजी से होकर आराजी संख्या 257 जो अप्रार्थी उंकार पुत्र गोपी बलाई निवासी निमोदा के खाते दर्ज है,से होता हुआ मुझ प्रार्थी की कृषि आराजी संख्या 259 पर जाता है, उक्त रास्ते का मै प्रार्थी कदीवी समय से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा हूं, उक्त रास्ता मेरे बाप दादाओं के समय से ही बना हुआ है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही होने से आये दिन परेशानियों का सामना करना पडता है, अभी हाल ही में दिनांक 10.06.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त रास्ते की जमीन को हंकाई कर दी है जिससे रास्ता अवरूद्ध हो गया है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने हेतू न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है प्रार्थी के इस खेत पर आने जाने का ओर कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। अन्त में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम गुढाखेडा प0ह0 जावदा की आराजी संख्या 259 में आने जाने हेतू अप्रार्थी संख्या 01, 2, 3 की आराजी संख्या 218, 223, 257 मे रास्ता कायम कर तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पराग त्रिपाठी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 03 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं[illegible] विरूद्ध दिनांक 15.02.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश [illegible] न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी [illegible] आराजी पर आने जाने के लिए कदीमी समय से बने हुए रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा इस रास्ते का उपयोग अन्य खातेदार भी वर्षों से करते चले आ रहे है, यदि प्रार्थी उक्त कदीमी रास्ता जो कि आराजी संख्या 217, 216,219,222 में होते हुए 257, 258 व 259 का उपयोग कर रहे है, उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं है, लेकिन सभी खातेदार आपसी सहमति से इस रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे हे, प्रार्थी द्वारा उक्त खातेदारो

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 14:00:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

को खसरा संख्या 217, 216, 219 व 222 को अप्रार्थीगण के रूप में नहीं बनाया है, जबकि प्रार्थी को उक्त कदीमी रास्ते को तरमीम कराने हेतु उक्त खसरा संख्या 217, 216, 219, 222 को अप्रार्थी नियुक्त किया जाना चाहिए था, प्रार्थी ने जानबुझकर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की आराजी को खराब करने व परेशान की नियत से यह गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा मौके पर आपस में हमारा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अन्त में अप्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से एंव गलत पक्षकारान बनाये जाने व कदीमी रास्ते से रास्ता कायम नहीं कराकर अन्य खाते से रास्ता मांगे जाने से व बिना विवाद के झूठे तथ्यों पर आधारित होकर प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से सव्यय खारीज फरामाया जाए या आराजी संख्या 217, 216, 219, 222 के कदीमी रास्ते से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार सरकार दिनांक 21.05.2024 को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुढाखेडा प0ह0 जावदा के आराजी संख्या 258 रकबा 0.01है0, आराजी संख्या 259 रकबा 1.23है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.24है0 भूमि रूप लाल पिता देवीलाल बलाई सा. निमोदा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 218 रकबा 0.29है0, आराजी संख्या 223 रकबा 0.42है0 कुल किता 02 रकबा 0.71है0 भूमि रामलाल पिता बाल्या, गेन्दीबाई पत्नि बाल्या बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी संख्या 257 रकबा 0.34है0 भूमि उंकार पिता गोपी बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 258, 259 पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त आराजी पर रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने ग्राम गुढाखेडा की आराजी संख्या 218, 223, 257 की पश्चिमी व उतरी मेड से रास्ता चाहा गया है जबकि ग्राम निमोदा की आराजी संख्या 247 रकबा 0.14है0 गै0मु0 रास्ता बिलानाम ना.का. काश्त दर्ज रिकार्ड है जो मौके पर चालू हैं तथा उक्त रास्ता दो गांवों की सीमा पर निकल रहा हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार आराजी संख्या 218 में 72X5=360 वर्गमीटर, आराजी संख्या 223 में 88 X 5=440 वर्गमीटर एवं आराजी संख्या 257 में 50X5=250 वर्गमीटर के अनुसार तीनों आराजीयात में कुल 1025 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 459730 रू प्रति हैक्टयर अथवा 45.97 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 1025 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 1025 X45.97=47119/- रूपये बनती है। जिसका दोगुना राशि 47119 X2=94238 रूपये बनती है।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा वे वर्तमान में विपक्षी की आराजी संख्या 218, 223, 257 की पश्चिमी व उतरी मेड के सहारे सहारे रास्ता चाहा गया। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास उसके खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कम दूरी का अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा [illegible]धिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 14:00:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)